गूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारीः– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 071/2024

चन्द्रमुखी उम्र 88 वर्ष पत्नी चेतराम जाति जाट साकिन वार्ड नं. 11, चक 42 एनडीआर पोस्ट ऑफिस पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

–– वादिया

–:बनामः–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

–– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांकः– 26/09/24

वादिया की ओर से श्री हनुमान भादू अधिवक्ता एवं प्रतिवादी की ओर से राजपैरोकार इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद वादिया स्वीकार किया जाता है। वाद में वर्णित कृषि भूमि में तहसील पीलीबंगा के चक 42 एनडीआर के खाता संख्या 22/18 में 2.440 हैक्ट. कमांड अनकमांड मय गै.मु. खाला व बडोपल बारानी के खाता सं. 88/61 में 10.779 हैक्ट. में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम चन्द्रावली पुत्री नंदराम व चन्द्रावली पत्नी चेतराम के स्थान पर चन्द्रमुखी पत्नी चेतराम दर्ज करने की घोषणा की जाती है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 26/09/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.01 12:25:21 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा